

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-ई/चिअ/राजपत्रित/एमपीएच 2023-24/2025/744 दिनांक-05/03/2025

- डॉ० कालू राम कुमावत, क.वि. दन्त जिला चिकित्सालय, केकडी।
डॉ० राकेश कुमार संयुक्त निदेशक, आईसीडीएस, निदेशालय, मुख्यालय।
डॉ० ईवा अरविन्द राखरिवाल (शर्मा) चि.अ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देईखेडा, बून्दी।
डॉ० इरफान अली खत्री, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना-कुचामन।
डॉ० बलवन्त मण्डा, उप निदेशक, हाल निलम्बित, निदेशालय, मुख्यालय।
डॉ० अनिल शर्मा, चि.अ. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चित्तरी, झूगरपुर।
डॉ० शिव कुमार शर्मा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।
डॉ० सुभाष सिंह, व.चि.अ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांखवास, नागौर।
डॉ० कमल कुमार गोठवाल, क.वि. दन्त जिला चिकित्सालय, केकडी।
डॉ० रविन्द्र कुमार सैनी, व.चि.अ. सआदत चिकित्सालय, टोंक।
डॉ० गौतम शर्मा, चि.अ. दन्त उप जिला चिकित्सालय, जमवारामगढ, जयपुर।
डॉ० कैलाश चन्द कुमावत, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ रेनवाल, जयपुर।
डॉ० राम प्रसाद मीना, चि.अ. उप जिला चिकित्सालय, मण्डावरी, दौसा।
डॉ० नरेन्द्र शर्मा, क.वि. ईएनटी, जिला चिकित्सालय, पावटा, जोधपुर।
डॉ० प्रवीण झुरिया, चि.अ. उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ, चुरू।
डॉ० सौरभ आर्य, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), जयपुर द्वितीय।
डॉ० सविता आर्य, चि.अ. लीव रिजर्व, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्सी, जयपुर द्वितीय।
डॉ० सुरेन्द्र कुमार गोयल, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा०), जयपुर द्वितीय।

विषय:-एमपीएच कोर्स 2023-24 में चयनित होने पर कार्यमुक्त किये जाने हेतु 80 लाख का बन्ध पत्र प्राप्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एमपीएच कोर्स में भाग लेने हेतु आपको राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार कोर्स अवधि के लिए अध्ययन/असाधारण अवकाश स्वीकृत करने एवं उक्त कोर्स में कार्यमुक्त किया जाना है।

अतः आप उच्च अध्ययन हेतु जाना चाहते हैं, तो नियमानुसार 80 लाख का बन्ध पत्र निदेशालय में प्रस्तुत करावे, जिससे आपको उक्त कोर्स में उच्च अध्ययन हेतु नियमानुसार कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ई/चिअ/राजपत्रित/एमपीएच 2023-24/2025/74A दिनांक- 05/03/2025

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बून्दी/डीडवाना-कुचामन/डूंगरपुर/धौलपुर/नागौर/जयपुर द्वितीय।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, केकडी/सआदत चिकित्सालय,
टोंक/जिला चिकित्सालय, सुज्जनगढ, चुरू/जिला चिकित्सालय, पावटा जोधपुर/उप
जिला चिकित्सालय, जमावारामगढ, जयपुर/उप जिला चिकित्सालय, मण्डावरी, दौसा।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ रेनवाल/बस्सी, जयपुर द्वितीय
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करवाना सुनिश्चित करावे।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <directorph-r@nic.in>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Director
Date: 04-03-2025 07:31:33